न्यायालय सहायक कलक्टर जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्रीं दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 371 / 2018 (127 / 2014)
दायर दिनांक :– 30.10.2014

अनवान

1. मदनलाल पिता हरदेव मीणा नि. लून्दा का झूपडा तह. जहाजपुर
2. गोपाल पिता हरदेव मीणा नि. लून्दा का झूपडा तह. जहाजपुर
3. गीता देवी बेवा नानकसिंह मीणा नि. लून्दा का झूपडा तह. जहाजपुर
4. कुलदीप पिता नानकसिंह मीणा ना. ब. माता सरंक्षक गीता देवी बेवा नानक सिंह मीणा नि. लून्दा का झूपडा तह. जहाजपुर
5. शक्तिसिंह पिता नानकसिंह मीणा ना. ब. माता सरंक्षक गीता देवी बेवा नानक सिंह मीणा नि. लून्दा का झूपडा तह. जहाजपुर
6. प्रियां पिता नानकसिंह मीणा ना. ब. माता सरंक्षक गीता देवी बेवा नानक सिंह मीणा नि. लून्दा का झूपडा तह. जहाजपुर

वादीगण.........

बनाम

1. संजय कुमार पिता मांगीलाल मीणा नि. गोदाला का झुपडा तह. जहाजपुर
2. ओम प्रकाश पिता मांगीलाल मीणा नि. गोदाला का झुपडा तह. जहाजपुर
3. शंकरलाल पिता मांगीलाल मीणा नि. गोदाला का झुपडा तह. जहाजपुर
4. भंवरसिंह पिता कल्याण सिंह मीणा नि. लुन्दा का झुपडा तह. जहाजपुर
5. केसर सिंह पिता गोपी मीणा नि. लुहारीकलां तह. जहाजपुर
6. किशन पिता प्रताप मीणा नि. लुहारीकलां तह. जहाजपुर
7. भॅवरसिंह पिता गोपी मीणा नि. लुन्दा का झुपडा तह. जहाजपुर
8. शंकरसिंह पिता कजोड मीणा नि. लुहारीकलां तह. जहाजपुर
9. रामचन्द्र पिता गोपी मीणा नि. लुहारीकलां तह. जहाजपुर
10. नाथू पिता हजारी मीणा नि. लुहारीकलां तह. जहाजपुर
11. छोटू पिता गोपी मीणा नि. लुहारीकलां तह. जहाजपुर
12. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण......

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री छीतर लाल रेगर, वकील वादीगण

:: निर्णय ::

दिनांक ०९ .05.2022

वादीगण का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम लुहारीकलां प0 ह0 लुहारीकलां तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 702 कुल किता 01 रकबा 06–07 बीघा कृषि भुमि वादीगण सं. 1 व 2 के एवं वादी सं. 3 से 6 के पिता पति नानक सिंह मीणा के खाते में दर्ज है। नानक सिंह की मृत्यु हो गई है। इसलिये इसके विधिक वारीसान वादीगण सं. 3 से 6 है। उक्त कृषि भूमि के पडौसी प्रतिवादीगण सं. 1 से 11 है। प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पिता ने सन् 2008 में सीमा बिन्दु को लेकर विवाद किया तब वादीगण ने माननीय न्यायालय से पत्थरगढी का आदेश लेकर पत्थरगढी कराई तब प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:nirnay//rider

Scanned with CamScanner

पिता का 2 बिस्वा जमीन पर कब्जा पाया गया था तथा प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के पिता मांगीलाल मीणा ने उक्त कब्जा वादीगण को सौंप दिया था। परन्तु दिनांक 29.06.2014 को प्रतिवादी सं. 1 से 11 जो कि वादीगण की कृषि जमीन के चारों दिशाओं के पडौसी हैं जिन्होने दादागिरी के बल पर एवं शक्ति के बल वादीगण की खातेदारी जमीन में लगभग 2 बीघा भूमि पर अवैध रूप से जबरन अतिचार/अतिकमण कर कृषि भूमि को हांककर पृथक पृथक कब्जा कर लिया है तथा कब्जा नही छोड रहे हैं एवं लडाई झगडा करने पर आमादा है। इसलिये वादीगण अपने खातेदारी कृषि जमीन पर प्रतिवादीगण सं. 1 से 11 द्वारा लगभग 2 बीघा जमीन पर कर रखा अवैध कब्जा से बेदखल करवा, कब्जा प्राप्त करने के अधिकारीगण है। तथा वादीगण को प्रतिवादीगण सं 1 से 11 से कब्जा दिलवाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत हैं एंव बाद कब्जा दिलाने पर प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जा काश्त में बाधा न डाले, डलवावे कि स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण जारी किया जाना आवश्यक हैं एवं न्याय संगत है। वाद हेतुक दिनांक 29.06.14 को प्रतिवादी सं. 1 से 11 द्वारा दादागिरी के बल पर अवैध रूप से वादीगण की खातेदारी जमीन में 2 बीघा भूमि को हांक कर कब्जा कर लिया इसलिये वाद हेतुक दिनांक 29.06.14 उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः उक्त भूमि में प्रतिवादीगण सं. 1 से 11 द्वारा लगभग 2 बीघा भूमि पर पृथक पृथक कर रखा कब्जा से बेदखल कर कब्जा पुनः वादीगण को दिलाने की एवं सीमा चिन्ह पर पुख्ता निशान कायम करने की घोषणात्मक डिकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण सादर पारित करना फरमावे। एवं बाद कब्जा पुनः वादीगण को दिलाने पर प्रतिवादी सं. 1 से 11 वादीगण के कब्जा काश्त में बाधा न डाले, न डलवावे की स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण के आदेश प्रदान किये जाने की मांग की।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजुद सुचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील वादीगण ने वादपत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सवंत 2076 से 2079 की प्रति प्रदर्श 1, दिनांक 15.05.08 को कराई गई पत्थरगढी का मौका पर्चा प्रदर्श 2, नकल जमाबन्दी सवंत 2068 से 2071 की प्रति प्रदर्श 3, नक्शा ट्रेस की प्रति प्रदर्श 4 है जो शामिल फाईल है। एवं ब्यान गवाह में गोपाल मीणा, पी. डब्ल्यु 1, नवरतन सिंह मीणा पी. डब्ल्यु 2 के ब्यान करवाये गये, जिसे शा० फा० किया गया।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण बहस के दौरान बताया की वादीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादी सं. 4 कुलदीप का नाम राजस्व रेकार्ड में करणसिंह दर्ज है। कुलदीप का ही नाम करणसिंह है। जो गोपाल उर्फ रामगोपाल मीणा पी डब्ल्यु 1 के बयानों में भी बताया गया है। वादीगण द्वारा पत्थरगढी का आदेश लेकर पत्थरगढी कराई तब प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के पिता का 2 बिस्वा जमीन पर कब्जा पाया गया था तथा प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के पिता मांगीलाल मीणा ने उक्त कब्जा वादीगण को सौंप दिया था। परन्तु दिनांक 29.06.2014 को प्रतिवादी सं. 1 से 11 जो कि वादीगण की कृषि जमीन के चारों दिशाओं के पडौसी हैं जिन्होने दादागिरी के बल पर एवं शक्ति के बल वादीगण की खातेदारी जमीन में लगभग 2 बीघा भूमि पर अवैध रूप से जबरन अतिचार/अतिक्रमण कर कृषि भूमि को हांककर पृथक पृथक कब्जा कर लिया है तथा कब्जा नही छोड रहे हैं एवं लडाई झगडा करने पर आमादा है। इसलिये वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 11 द्वारा 2 बीघा कृषि भूमि पर कर रखा अवैध कब्जा अतिचार से बेदखल कर पुनः कब्जा वादीगण को दिलाये जाने की घोषणात्मक डिकी वादीगण के पक्ष में पारित की जावें एवं बाद कब्जा वादीगण को दिलाने पर प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जा काश्त में

सहायक कलक्टर

Scanned with CamScanner

बाधा न डाले, न डलवावे की स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण के आदेश प्रदान किये हेतु निवेदन किया गया।

मैने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नं. 702 कुल किता 01 रकबा 06–07 बीघा भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार है, जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबन्दी नकल सम्वत 2076–79 प्रदर्श 1 से होती है। पत्थरगढी मौका पर्चा दिनांक 15.05.2008 प्रदर्श 2 के अनुसार विवादित आराजी खसरा सं. 702 रकबा 6–07 बीघा में से 02 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पिता मांगीलाल पिता गोपी मीणा का कब्जा पाया गया था। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बताया है कि उक्त कब्जा मांगीलाल ने वादीगण को सौंप दिया था। परन्तु दिनांक 29.06.2014 को प्रतिवादीगण सं. 1 से 11 द्वारा वादीगण के विवादित आराजी खसरा सं. 702 रकबा 6–07 बीघा भूमि में से 2 बीघा भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 प्रदर्श 1 के अनुसार प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई संबध नही है। प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर अतिचारी है, जिन्होनें बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के वादीगण की भूमि पर कब्जा कर लिया है। अतः वादीगण प्रतिवादीगण को अपनी भूमि से बेदखल कराने का अधिकार रखती है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण की खातेदारी भुमि पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर लेने से वादीगण कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। उपरोक्तानुसार न्यायालय वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाना उचित समझता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम शिवनगर (लुहारीकलां) प0 ह0 लुहारीकलां तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 702 कुल किता 01 रकबा 06–07 बीघा में प्रतिवादी सं. 1 से 11 द्वारा 02 बीघा भाग में प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे से उन्हे बेदखल कर कब्जा वादीगण को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है। पर्चा डिकी मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
सहायक कलक्टर,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner

डिग्री व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – सहायक कलक्टर मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)
व ईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस

अनवान

1. मदनलाल पिता हरदेव मीणा नि. लून्दा का झूपडा तह. जहाजपुर
2. गोपाल पिता हरदेव मीणा नि. लून्दा का झूपडा तह. जहाजपुर
3. गीता देवी बेवा नानकसिंह मीणा नि. लून्दा का झूपडा तह. जहाजपुर
4. कुलदीप पिता नानकसिंह मीणा ना. ब. माता सरंक्षक गीता देवी बेवा नानक सिंह मीणा नि. लून्दा का झूपडा तह. जहाजपुर
5. शक्तिसिंह पिता नानकसिंह मीणा ना. ब. माता सरंक्षक गीता देवी बेवा नानक सिंह मीणा नि. लून्दा का झूपडा तह. जहाजपुर
6. प्रियां पिता नानकसिंह मीणा ना. ब. माता सरंक्षक गीता देवी बेवा नानक सिंह मीणा नि. लून्दा का झूपडा तह. जहाजपुर

वादीगण..........

बनाम

1. संजय कुमार पिता मांगीलाल मीणा नि. गोदाला का झुपडा तह. जहाजपुर
2. ओम प्रकाश पिता मांगीलाल मीणा नि. गोदाला का झुपडा तह. जहाजपुर
3. शंकरलाल पिता मांगीलाल मीणा नि. गोदाला का झुपडा तह. जहाजपुर
4. भंवरसिंह पिता कल्याण सिंह मीणा नि. लुन्दा का झुपडा तह. जहाजपुर
5. केसर सिंह पिता गोपी मीणा नि. लुहारीकलां तह. जहाजपुर
6. किशन पिता प्रताप मीणा नि. लुहारीकलां तह. जहाजपुर
7. भॅवरसिंह पिता गोपी मीणा नि. लुन्दा का झुपडा तह. जहाजपुर
8. शंकरसिंह पिता कजोड मीणा नि. लुहारीकलां तह. जहाजपुर
9. रामचन्द्र पिता गोपी मीणा नि. लुहारीकलां तह. जहाजपुर
10. नाथू पिता हजारी मीणा नि. लुहारीकलां तह. जहाजपुर
11. छोटू पिता गोपी मीणा नि. लुहारीकलां तह. जहाजपुर
12. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण......

दावा बाबत – 183, 188 आर. टी. ए.
प्रकरण संख्या :– 371/2018 (127/2014)

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री छीतर लाल रेगर का मिनजानिब मुदई व श्री .. का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम (लुहारीकलां) शिवनगर पo हo लुहारीकलां तहo जहाजपुर में स्थित कृषि आo सo 702 कुल किता 01 रकबा 06–07 बीघा में प्रतिवादी सं. 1 से 11 द्वारा 02 बीघा भाग में प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे से उन्हे बेदखल कर कब्जा वादीगण को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.05.2022

मुहर

(दामोदर सिंह)
सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner